39

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/781 /2026 दिनांक : 06/01/2026

सेवा में,

प्राचार्य/सचिव,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके महाविद्यालय में संचालित बी0एड0, विधि एवं स्नातक/स्नातकोत्तर (स्थायी/अस्थायी) पाठ्यक्रमों में पठन–पाठन हेतु शिक्षकों का विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। यह गंभीरता से संज्ञान में आया है कि अनेक महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय से विषय–विशेषज्ञ प्राप्त करने के उपरान्त भी शिक्षक चयन/अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है, जो कि स्पष्ट अनियमितता है।

अतः समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से प्राप्त विषय–विशेषज्ञों से साक्षात्कार प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कराते हुए शिक्षक अनुमोदन की सम्पूर्ण पत्रावली अविलम्ब विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

जिन महाविद्यालयों द्वारा अब तक विषय–विशेषज्ञ प्राप्त नहीं किये गये हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित दो राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में तीन दिन विज्ञापन प्रकाशित कराकर (प्रत्येक की तीन–तीन मूल प्रतियाँ) आवश्यक अभिलेखों सहित पत्रावली विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें। निर्धारित समय में कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में पुनः विषय–विशेषज्ञ प्रदान नहीं किये जायेंगे।

स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक अनुमोदन/नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण न करने वाले महाविद्यालयों के सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को सत्र 2026–27 की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

साथ ही, जिन महाविद्यालयों की प्रबन्ध समिति कालातीत है, वे उसका नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए पत्रावली अनुमोदनार्थ तत्काल विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक— आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी, कुलपति सचिवालय— मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट— सूचना प्रदर्शित किये जाने हेतु।
4. अधिकृत एजेन्सी— समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन आई0डी0 पर अपलोड हेतु।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

mail to Agency

Affisvlett